संख्या- 154/78-1-2018-25/2012

आदेश प्राप्त
05/02/18

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त राजकीय एवं निजी प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन/ शोध एवं विकास संस्थान/संगठन/ महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।

4- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 05 फरवरी, 2018

विषयः "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 6 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के प्रस्तर संख्या 6 उत्तर प्रदेश में स्टार्ट-अप संस्कृति तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "स्टार्ट-इन-उत्तर प्रदेश" में व्यवस्था है कि राज्य सरकार द्वारा INFUSE model (INcubators – FUnd of Funds – Startup Entrepreneurs) परिभाषित करते हुए स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जायेगा।

3- इन्क्यूबेटर्स तथा स्टार्ट-अप्स के लिए "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू 1000 करोड़ के यूपी स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान की जायेगी। स्टार्ट-अप इकाई को रू 15,000/- प्रतिमाह एक वर्ष तक भरण-पोषण भत्ता (sustenance allowance) दिये जाने का प्राविधान है तथा स्टार्ट-अप को उसके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए रू 10 लाख की सीमा तक की सहायता, विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता के रूप में उनके उत्पाद/सेवाओं को बाजार में उतारने के लिए प्रदान की जायेगी। उपरोक्त स्टार्ट-अप इकाइयों को भरण-पोषण भत्ता एवं विपणन/व्यवसायीकरण सहायता, प्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर में पंजीकृत होने के उपरान्त ही प्रदान की जायेगी। इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट-अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 2,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी। स्टार्ट-अप फण्ड की निधि का निवेश स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा सेबी से

अनुमोदित निवेश में प्रतिभाग किया जायेगा। विकल्प स्वरूप, निधि का निवेश "डॉटर फण्ड्स" (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सभी क्षेत्रों की अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जायेगा। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में 25 प्रतिशत तक, अल्प सहभागिता की जायेगी। फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

4- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवँ स्टार्ट-अप नीति-2017" में उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

4.1 मासिक भरण-पोषण भत्ता (**Sustenance allowance**) प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

4.1.1 मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृति हेतु स्टार्ट-अप इकाई का आवेदन पंजीयन-प्रपत्र (अनुलग्नक-1) पर, इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा अपनी संस्तुति (Letter of Recommendation) **(अनुलग्नक-2)** सहित, कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीयन-प्रपत्र, संस्तुति-पत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। अतिरिक्त अभिलेख, यदि आवश्यक हो, कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर, सम्बन्धित इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा उपलब्ध कराये जायँगे।

4.1.2 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त स्टार्ट-अप को मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.1.3 नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदनोपरान्त स्टार्ट-अप को मासिक भरण-पोषण भत्ता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। स्टार्ट-अप को भरण-पोषण भत्ता स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों से स्टार्ट-अप तथा इनक्यूबेटर/उत्प्रेरक को अवगत कराया जायेगा।

4.1.4 भरण-पोषण भते हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर /उत्प्रेरक को उपलब्ध कराई जायेगी और भरण-पोषण भते का भुगतान इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा स्टार्ट-अप इकाई के बैंक खाते में धनराशि हस्तान्तरण द्वारा मासिक आधार पर किया जायेगा। इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रदत्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.1.5 इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा स्टार्ट-अप इकाइयों की प्रगति आख्या त्रैमासिक आधार पर अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। प्रथम बार प्रगति आख्या, भरण-पोषण भत्ता प्राप्त होने से

छह माह पूर्ण होने पर एवं द्वितीय प्रगति आख्या एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रस्तुत किया जायेगी।

4.2 स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण (Marketing/Commericalization assistance) सहायता प्रदान किये जाने की प्रक्रिया

4.2.1 ऐसी स्टार्ट-अप इकाई, जिसने अपना उत्पाद/सेवा प्रायोगिक चरण (Pilot Stage) पर बाजार में उतारी हो, वास्तविक लागत के आधार पर रू 10 लाख की सीमा तक की सहायता हेतु आवेदन किया जा सकेगा।

4.2.2 स्टार्ट-अप द्वारा अपनी व्यवसाय-योजना सम्बन्धित इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रस्तुत करनी होगी कि उसके द्वारा विपणन/व्यवसायीकरण सहायता का उपयोग, चरणबद्ध रूप से किस प्रकार किया जायेगा। व्यवसाय-योजना को इन्क्यूबेटर / उत्प्रेरक द्वारा परीक्षणोपरान्त, आवश्यक अभिलेखों-अनुलग्नक 1 एवँ अनुलग्नक 3 सहित कार्यदायी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

4.2.3 कार्यदायी संस्था द्वारा पंजीयन-प्रपत्र तथा अन्य संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण वि या जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी। अतिरिक्त अभिलेख, यदि आवश्यक हो, कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे जाने पर, इन्क्यूबेटर द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

4.2.4 कार्यदायी संस्था द्वारा, प्रस्तुत आवेदन एवं अभिलेखों के परीक्षण/ सत्यापन के उपरान्त स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृत किये जाने हेतु अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

4.2.5 नीति कार्यान्वयन इकाई के अनुमोदनोपरान्त स्टार्ट-अप को विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृत किये जाने विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। स्टार्ट-अप को विपणन/व्यवसायीकरण सहायता स्वीकृति से सम्बन्धित नियमों एवं शर्तों से स्टार्ट-अप तथा इनक्यूबेटर/उत्प्रेरक को अवगत कराया जायेगा।

4.2.6 विपणन/व्यवसायीकरण सहायता हेतु उपयुक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को उपलब्ध कराई जायेगी। इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रदत्त धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक द्वारा कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.2.7 स्टार्ट-अप को अपना उत्पाद/सेवा बाजार में उतारने हेतु विपणन/ व्यवसायीकरण सहायता धनराशि का निर्धारण स्टार्ट-अप की आवश्यकता पर निर्भर होगा तथा उसका वितरण (Disbursement) इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक की संस्तुति पर नीति कार्यान्वयन इकाई के स्तर पर समीक्षा के उपरान्त किया जायेगा।

4.2.8 स्टार्ट-अप द्वारा इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक को प्रगति आख्या प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा एवं स्टार्ट-अप द्वारा प्रस्तुत प्रगति आख्या के साथ व्यय की गई धनराशि का सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र अर्द्धवार्षिक आधार पर, प्रस्तुत किया जायेगा।

4.3 <u>पेटेन्ट्स प फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन का विवरण</u>

4.3.1 यह प्रोत्साहन शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर पेटेन्ट्स फाइलिंग करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।

4.3.2 यह स्टार्ट-अप्स की परिभाषा में आने वाली इन्क्यूबेटेड स्टार्ट-अप इकाई को ही अनुमन्य होगा।

4.3.3 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यदायी संस्था होगी।

4.3.4 इस प्रोत्साहन के अन्तर्गत इन्क्यूबेट हुई स्टार्ट-अप कम्पनियों को घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 2,00,000 तक तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक वास्तविक पेटेन्ट्स प फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति, स्वीकृत पेटेन्ट्स के लिए अनुमन्य होगी।

4.3.5 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

4.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

4.4.1 यह प्रोत्साहन पात्र इकाईयों को केस-टू-केस आधार पर परीक्षण उपरान्त प्रदान किया जायेगा। पात्र इकाई द्वारा पेटेन्ट्स हेतु सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने और उसके लिए पेटेन्ट् फाइलिंग जमा कर दिये जाने के सम्बन्ध में इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को सूचित किया जायेगा।

4.4.2 पेटेन्ट्स फाइलिंग/प्रॉसीक्यूशन ऑफ पेटेन्ट एप्लीकेशन हेतु प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा(अनुलग्नक-अ) पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप(अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-

4.4.2.1 पेटेन्ट कार्यालय द्वारा प्रदत्त पेटेन्ट पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति

4.4.2.2 स्वच्छ सूचकों (labels) के साथ विशिष्टियों (specifications)/ विन्यास (drawings)/चित्र (designs)

4.4.2.3 ISO/ISI प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति (यदि हो तो)

4.4.2.4 पेटेन्ट पंजीयन पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण (इन्वांयस और रसीदों की सत्यापित प्रति सहित)

4.4.2.5 संयंत्र/उपकरणों/सॉफ्टवेयर/अन्य उपयुक्त निवेश के प्रमाण-स्वरूप चार्टर्ड एक्याउन्टेन्ट का प्रमाण-पत्र

4.4.2.6 आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/ निदेशक का शपथ-पत्र

4.4.2.7 आवेदक द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत प्राप्त किये गये प्रोत्साहन/ छूट का अद्यतन विवरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण-पत्र सहित

4.5 <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया</u>

4.5.1 कार्यदायी संस्था द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

4.5.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

4.5.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को पेटेन्ट्स फाइलिंग प्रोत्साहन अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था की संस्तुति पर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।

4.5.4 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।

**4.6 फण्ड ऑफ फण्ड्स (Fund of Funds) मॉडल के अन्तर्गत स्टार्ट-अप कॉर्पस फण्ड के निवेश की प्रक्रिया**

4.6.1 उत्तर प्रदेश में इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रू 1000 करोड़ से यूपी स्टार्ट-अप कॉर्पस फण्ड बनाया जायेगा।

4.6.2 स्टार्ट-अप फण्ड की निधि का निवेश स्टार्ट-अप में प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा सेबी से अनुमोदित निवेश में प्रतिभाग किया जायेगा। विकल्प स्वरूप, निधि का निवेश "डॉटर फण्ड्स" (Daughter Funds) में किया जायेगा, जिनके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में सभी क्षेत्रों की अभिनव योजनाओं/विचारों को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप्स में निवेश किया जायेगा। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में 25 प्रतिशत तक, अल्प सहभागिता की जायेगी। फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा।

4.6.3 उदाहरणतः निम्न-चित्र स्टार्ट-अप कापर्स के कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है:-

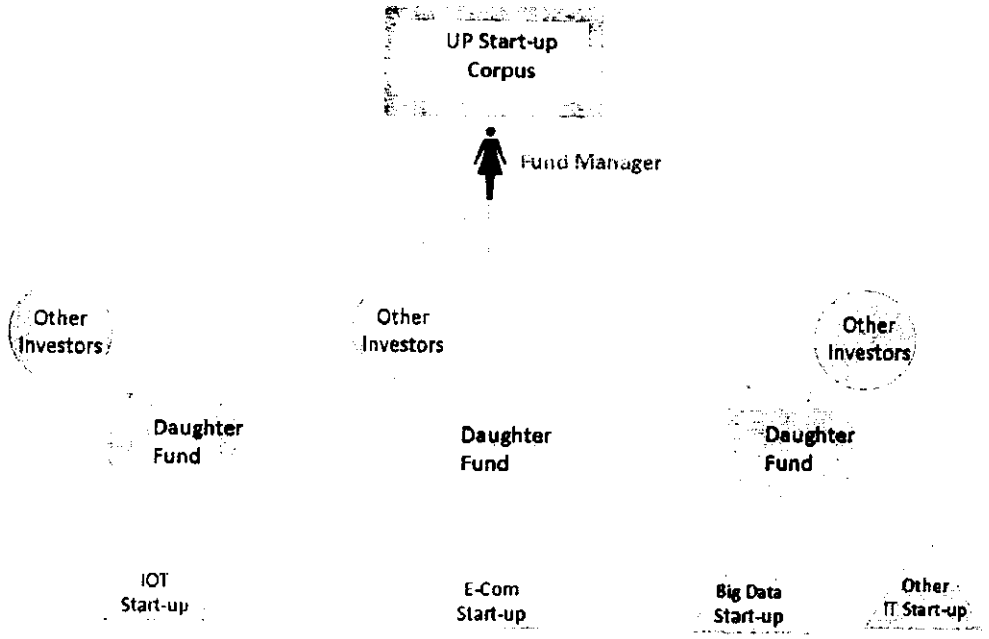

4.6.4 फण्ड का प्रबन्धन पेशेवराना रूप से किया जायेगा तथा प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित स्टार्ट-अप फण्ड के प्रबन्धन हेतु एक निधि प्रबन्धक नामित/नियुक्त किया जायेगा। डॉटर फण्ड्स का पेशेवराना प्रबन्धन (professionally managed), निधि प्रबन्धक (Fund Manager) द्वारा किया जायेगा। इस प्रयोजन हेतु SIDBI, Canbank Venture, सेबी द्वारा अनुमोदित वेन्चर फण्ड/एन्जेल फण्ड इत्यादि को कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा चयन किया जायेगा।

4.6.5 डॉटर फण्ड कापर्स का आकार बाजार की आवश्यकताओं तथा निधियों की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु निधि प्रबन्धक की क्षमताओं पर निर्भर होगा (The Corpus of the Daughter Fund(Fund Size) may be determined by market requirements and the capacity of the Fund Manager to cater to the requirements of fund)। सीमित-साझीदार होने के कारण, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डॉटर फण्ड में एक अल्प सहभागिता यथा 25 प्रतिशत तक सहभागिता की जायेगी। बाकी का निवेश अन्य निवेशकों द्वारा पूर्ण (Pool-in) किया जायेगा।

4.6.6 निधियों की प्राप्ति (Raising of Funds), उसके निवेश तथा वैयक्तिक निवेश के अनुश्रवण का पूर्ण उत्तरदायित्व डॉटर फण्ड के निधि प्रबन्धक का होगा। डॉटर फण्ड के निधि प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि डॉटर फण्ड की स्थापना और उसके संचालन हेतु भारतीय कानूनों का अनुपालन किया जाये। यदि डॉटर फण्ड में कोई विदेशी निवेश है तो भारतीय रिजर्व बैंक/ Foreign Investment Promotion Board की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4.6.7 उत्तर प्रदेश शासन से निधियों (Funds) की आवश्यकता होने पर निधि प्रबन्धक द्वारा, उ0प्र0 शासन की प्रस्तावित निवेश वचनबद्धता के लिए कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) से आग्रह किया जायेगा। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा अपनी संस्तुति नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी।

4.6.8 उत्तर प्रदेश शासन की वचनबद्धता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात निधि प्रबन्धक द्वारा डॉटर फण्ड के लिए अन्य निवेशकों से निवेश प्राप्त किया जायेगा। डॉटर फण्ड के लिए सम्पूर्ण परिलक्षित धनराशि (अथवा उसके भाग) के लिए निवेशकों की वचनबद्धता प्राप्त कर लेने के उपरान्त निधि प्रबन्धक द्वारा, शासन सहित, सभी निवेशकों के साथ विधिक रूप से बाध्यकारी अनुबन्ध निष्पादित किये जायेंगे।

4.6.9 तत्पश्चात स्टार्ट-अप कापर्स फण्ड से वास्तविक रूप से आनुपातिक आधार पर निधियों (Funds) प्राप्त की जायेंगी।

4.6.10 निधि प्रबन्धक को, उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं हेतु शासन द्वारा प्रबन्धन शुल्क (management fees) का भुगतान किया जायेगा। निधि प्रबन्धक द्वारा शासकीय निवेश पर एक निश्चित दर (Hurdle Interest) से प्रतिफल सुनिश्चित करना होगा।

4.6.11 निधि प्रबन्धक द्वारा डॉटर फण्ड के कार्यकलापों/प्रगति तथा निवेश के महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाते हुए एक व्यापक समीक्षा आख्या कार्यदायी संस्था/ नीति कार्यान्वयन इकाई को अर्द्ध-वार्षिक आधार पर अथवा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जायेगी। निधि प्रबन्धक द्वारा सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र (Utilization Certificate)/व्ययों का विवरण (Statement of Expenditure) कार्यदायी संस्था/नीति कार्यान्वयन इकाई को वार्षिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

4.6.12 डॉटर फण्ड से बाहर निकलना (Exit from Daughter Funds) डॉटर फण्ड से निकलने के दौरान निधि प्रबन्धक द्वारा वित्तीय लेखे तैयार किये जायेंगे एवं समस्त पूर्णता रिपोर्ट्स, सदुपयोगिता प्रमाण-पत्र, व्ययों का विवरण इत्यादि शासन/कार्यदायी संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। निधि प्रबन्धक, डॉटर फण्ड द्वारा debt या equity realization/ liquidation की proceeds को वापस कापर्स फण्ड में अभिदान कर देगा।

4.7 <u>स्टार्ट-अप इकाई के दायित्व</u>

प्रोत्साहन धनराशियों की प्राप्ति के लिए स्टार्ट-अप इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें इन्क्यूबेटर/उत्प्रेरक/कार्यदायी संस्था/नीति कार्यान्वयन इकाई/आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।

4.8 स्टार्ट-अप्स को सभी क्षेत्रों (sectors) यथा (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्टरनेट से जुड़े कार्य, 3डी प्रिंटिंग, बिग डाटा इत्यादि) में कार्य करने की छूट होगी तथा उन्हें प्रौद्योगिकी से समर्थित होना आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र की स्टार्ट-अप्स द्वारा निम्नलिखित कार्य-क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जायेगाः-

1- मोबाईल एवं सूचना प्रौद्योगिकी
2- इन्टरनेट से जुड़े कार्य, ई-कॉमर्स
3- इलेक्ट्रानिक्स डिजाइन/वीएलएसआई डिजाइन/एडवान्स टेक्नोलॉजी
4- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स क्षेत्र में कोई मौलिक परिकल्पना/ प्रौद्योगिकी

4.9 <u>प्रोत्साहन अवधि</u>

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, अनुदान अनुमन्य होगा।

4.10 <u>सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रोत्साहनों की अनुमन्यता</u>

स्टार्ट-अप इकाइयों के सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र कम्पनी के रूप में विकसित हो जाने पर, उत्तर प्रदेश में अपनी इकाई स्थापित करने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2017 के समस्त प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

4.11 <u>आच्छादन</u>

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4.12 <u>परिभाषायें</u>

एतद्द्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार

4.13 <u>न्यायालय का क्षेत्राधिकार</u>

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

4.14 <u>प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड</u>

स्टार्ट-अप इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी

गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

6- आईटी एवं इलेक्ट्रानिकस अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1132/78-1-2016-25/2012टीसी-3 दिनॉक 19 अगस्त 2016 को एतद्द्वारा अवक्रमित किया जाता है।

संलग्नकः यथा उपरोक्त

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1540(1)/78-1-2018-25/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
8- अपर मुख्य सचिव, स्टैम्प्स एण्ड रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
9- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
11- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
12- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश।
13- प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
14- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान इण्डिया लि0, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ।
15- गार्ड फाइल।

02-02-18
02/02/18

आज्ञा से,

(हरी राम)
अवर सचिव